

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**  
**कार्यालय आदेश**

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) एवं सहायक स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO.	NAME	POST	SUBJECT	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	RAJAN	Lecturer (I Gr.)	Geography	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DARIDA PROJECT DIST ALWAR (216434)	ALWAR	SMT PHOOLA DEVI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOHRA MULLA MAHWA DAUSA (212923)	DAUSA	NO
2	MAHESH SINGH SAINI	Lecturer (I Gr.)	Geography	SMT PHOOLA DEVI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOHRA MULLA	DAUSA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DARIDA PROJECT DIST ALWAR (216434)	ALWAR	YES

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परिचीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1991 के नियम-144 'क' के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्ण में न्यायिक स्थान प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विलुप्त वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में न्यपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।



  
(मोर्सेव जयवाल)

आई.ए.एच.  
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक - 08.08.22

क्रमांक - शिविरा/ना/संस्था/सी-5/भूगोल व अन्य/स्थानान्तरण-पदस्थापन/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- परियांजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- सम्युक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित सम्युक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक मलेदय, कार्यालय हाजा।
- रिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रबंधन करे।
- संबंधित सरथा प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- संबंधित व्याख्याता।
- रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर